नियम एवं शर्ते

1. संस्थान के विभिन्न कार्यों का संचालन किये जाने हेतु पूर्व में कार्यरत आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 कुशल और 05 अकुशल कुल 16 कर्मचारियों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. संस्थान में कुशल व अकुशल कमिर्यो की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदाये दिनांक 05/05/2022 के अपराह्न 04:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।
3. संस्थान बिना कारण बताये निविदा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. निविदादाता संस्थान के साथ एक धरोहर राशि (EMD, रू0 25,000/–मात्र) के रूप में जमा करेगा। धरोहर राशि (EMD) **DIRECTOR, SIT Pithoragarh** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जायेगा।
5. निविदादाता दो मुहरबंद लिफाफे जिस पर अलग–अलग तकनीकी निविदा एवं फर्म का नाम, साथ में वित्तीय निविदा एवं फर्म का नाम लिखा हो, एक बड़े मुहरबंद लिफाफे के भीतर रखकर संस्थान को प्रेषित करें। इस मुहरबंद लिफाफे के ऊपर फर्म का नाम, पता एवं कुशल/अकुशल कर्मियों हेतु निविदा साफ शब्दों में अंकित होना अनिवार्य है। संस्थान का पता– **निदेशक, नन्ही परी सीमान्त इन्जीनियरिंग संस्थान, जी0आई0सी0 परिसर, पिथौरागढ़–262502।** निविदा को रजिस्टर्ड डाक अथवा हाथों–हाथ कार्यालय दिवस में दिनांक 05/05/2022, 04:00 बजे तक प्रेषित किया जाना होगा।
6. निविदा दिनांक 06/05/2022 को प्रातः 11:00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी।
7. निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म के पास भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभागों/ मंत्रालयों /अधीनस्थ संस्थानो/ सम्बद्व संस्थानों को कुशल/अकुशल कर्मचारियों को प्रदान करने का अनुभव गत् 03 वर्षों में कम से कम 02 वर्ष होना चाहिए। (कार्य के आदेशों की प्रतियॉ संलग्न की जानी चाहिए।)
8. फर्म द्वारा विगत तीन वर्ष का औसत कारोबार न्यूनतम रू0 12,00,000.00 (बारह लाख) होना चाहिए।
9. संलग्न दास्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
10. असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी ।
11. निविदा, खुलने की तारीख से 45 दिनों के लिए वैध होगी।
12. सफल निविदादाता को रू0 75,000 हजार की कार्यपूर्ति प्रतिपूर्ति (Performance Security) जमा करने के उपरान्त उसके साथ एक अनुबंध किया जाएगा। इस अनुबंध मे सफल निविदादाता को ठेकेदार के रूप मे परिभाषित किया जाएगा।
13. यदि निविदादाता सफल घोषित होने के उपरान्त सेवायें देने में असमर्थता जताता है या अनुबंध करने से मना कर देता है तो उसकी धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
14. यदि सफल निविदादाता किसी भी कारण से अनुबंध के उपरान्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है अथवा सेवायें देने में असमर्थता जताता है तो उसकी कार्यपूर्ति प्रतिपूर्ति (Performance Security) जब्त कर ली जायेगी।
15. संस्थान किसी भी समय इस अनुबंध को निलंबित करने के लिए स्वंतत्र होगा। इस सम्बन्ध में ठेकेदार को लिखित में 1 माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
16. निविदा 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये होगी। सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी की सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध अग्रेत्तर (अगले वित्तीय वर्ष 2023–24) बढाये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।
17. आपूर्तिकता (फर्म) द्वारा गलत अभिलेख प्रस्तुत करने, सेवायें प्रदान न करने अथवा किसी अन्य कमी के लिये ब्लैक लिस्ट एवं डिबार किया जा सकता है। डिबार अथवा ब्लैकलिस्ट की समय सीमा 02 वर्ष होगी।
18. कोटेड दरें प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर होनी चाहिए। दरों की स्वीकार्यता निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन की अवधि तक वैध होगी।

19. निविदादाता / फर्म निविदा प्रपत्र व फार्म तथा नियत / शर्तें चैक लिस्ट इत्यादि संस्थान की वेबसाइड www.sitp.ac.in से डाउनलोड कर निविदा नियत तिथि, समय व स्थान पर जमा कर सकते हैं।
20. फर्म पूर्व में किसी भी संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्टैड नहीं होने का शपथ प्रमाण पत्र (नोटराईज रू0 100/–) प्रस्तुत करेगा।
21. कुशल (11) कर्मचारियों को रू0 10250/–प्रतिमाह एवं अकुशल (05) कर्मचारियों को रू0 9093/– प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन के श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या 311/VIII/19-228 (श्रम)/2001–पार्ट–II देहरादून दिनांक 08 मार्च, 2019 के क्रम में ESI, EPF इत्यादि की कटौती नियमानुसार फर्म द्वारा की जानी होगी।
22. नियोजित व्यक्ति को संस्थान के कार्यावधि में संस्थान से सम्बन्धित विभाग में तैनात रहना होगा एवं कार्यावधि के दौरान मदिरापान/किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना होगा। यदि कोई नियोजित व्यक्ति इस प्रकार की चीजों का सेवन करते हुए पाया जाता है तो वाह्य स्रोत्र ऐंजेन्सी को तुरन्त उसकी सेवायें समाप्त करनी होगी।
23. वाह्य स्रोत्र ऐंजेन्सी के द्वारा नियोजित व्यक्ति के किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चिकित्सा क्षतिपूर्ति एवं मृत्यु पर संस्थान को कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24. वाह्य स्रोत्र ऐंजेन्सी को संस्थान के पास धनराशि की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा एवं धनराशि की उपलब्धता न होने के स्थिति में विलम्ब मान्य होगा।
25. दरों की वैद्यता हेतु रू0 100/–का स्टाम्प पेपर पर रू0 1/– का रेवन्यू टिकट लगाकर हस्ताक्षर कर संलग्न करना होगा।
26. निविदादाता का बिना किसी शर्त के निविदा को स्वीकार्य करना होगा। अतः सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
27. निविदादाता (फर्म) निम्नलिखित दास्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
    - पिछले 04 (चार) वित्तिय वर्ष में कोई भी 03 (तीन) वित्तीय वर्षों की वार्षिक कारोबार के लेखा परीक्षित लेखा विवरण की प्रति (2017 -2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2020–2021) जो C.A द्वारा प्रमाणित हो।
    - फर्म की जी0 एस0 टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र। (GST Registration)
    - ईएमडी (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट (मूल रूप में)
    - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र। (Registration Certificate)
    - श्रम विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (Registration Certificate)
    - कर्मचारी राज्य बिमा निगम (ESIC) के द्वारा जारी पंजीकृत प्रमाण पत्र। (Registration Certificate)
    - निविदादाता के कार्य अनुभव को निर्धारित करने के लिये संतोषजनक कार्य रिपोर्ट।
    - पैन कार्ड की प्रति।
    - आधार कार्ड की प्रति।
    - फॉर्म (Annexure A, Annexure B) एवं घोषण पत्र (Annexure C) मुहर एवं हस्ताक्षर सहित

कानूनी क्षेत्राधिकार : किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ होगा।

प्रशासक / जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़